MTNL's GARUDA-1x
Limited Mobility Unlimited Convenience
PREPAID WLL SERVICE

गरुड़ - 1x प्रीपेड सीडीएमए डब्ल्यूएलएल सेवा के लिए अनुबंध प्रपत्र

प्रशुल्क प्लान एवं मानक नियम तथा शर्तें भी संलग्न हैं
केवल बॉल पैन का प्रयोग करें ; स्पष्ट अक्षरों में लिखें।
उचित खाने पर चिन्ह लगाएं

MTNL

स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित फोटो

सेवा : प्रीपेड मोबाइल ☐ प्रीपेड एफडब्ल्यू ☐

आवेदक का प्रकार: ☐ व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ अन्य (स्पष्ट करें)____
कोई वर्तमान एमटीएनएल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ सुश्री ☐ डॉ. ☐ मैसर्स ☐ अन्य(स्पष्ट करें) _______ वैवाहिक स्थिति एकल /विवाहित
लिंग पु. . स्त्री

उपभोक्ता का नाम

पिता /पति का नाम

संस्थापन का पता आवास ☐ कार्यालय ☐ व्यवसाय ☐

शहर

पिन कोड

टेलीफोन नं.

फैक्स नं.

ई-मेल ________________

क्या राष्ट्रीय पंजिका-कॉल न करें (नि:शुल्क) में पंजिकरण चाहते हैं : हाँ /नहीं

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ /करती हँ तथा वचन देता हूँ /देती हूँ कि उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सत्य है। मैंने इसके दूसरी ओर दिए गए नियमों एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। मैं एतद्द्वारा उनके पालन की सहमति देता हूँ /देती हूँ। मैंने ऊपर दिए गए प्रशुल्क प्लान के विवरण को पढ़ लिया है, जिसे मैं समझता हूँ /समझती हूँ कि वह समय-सयम पर परिवर्तित हो सकता है। मैं इस पर भी सहमत हूँ कि मेरा गरुड़ प्रीपेड कनेक्शन एमटीएनएल द्वारा सत्यापन, मूल्यांकन तथा स्वीकृति के अधीन है। उपभोक्ता के हस्ताक्षर ________________________ दिनांक ________________________	प्रमाणित किया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेज़ों का मूल दस्तावेज़ों से सत्यापन किया गया।

	संचार हाट-I/C / वितरक के हस्ताक्षर एवं मोहर तथा कोड

भुगतान का विवरण

राशि रु. | | | | | | | | भुगतान का माध्यम | | नकद | | मांग ड्राफ्ट | बैंक का नाम ____________________

मांग ड्राफ्ट संख्या | | | | | | | | दिनांक | | | | | | | | | ____________________

सत्यापनकर्त्ता एजेंसी की रिपोर्ट

सत्यापनकर्त्ता कार्यपालक ____________________ सत्यापन की तिथि ____________________ (i) पते में परिवर्तन (यदि कोई हो) : (ii) प्राप्त किए गए दस्तावेज़ : (iii) संपर्क व्यक्ति : (iv) टिप्पणी : सकारात्मक / नकारात्मक	प्रमाणित किया जाता है कि उपभोक्ता की पहचान तथा पते को ऊपर वर्णित पते पर स्वयं दौरा करके मूल दस्तावेज़ों सहित सत्यापित किया गया। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता अथवा सत्यापनकर्त्ता एजेंसी मोहर सहित

निर्देश	केवल एमटीएनएल के प्रयोग के लिए
i. पते के प्रमाण के लिए अपेक्षित दस्तावेज़: निम्नलिखित में से किसी एक की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि - (क) पासपोर्ट, (ख) हाल ही में भुगतान किया गया टेलीफोन/गैस/पानी/बिजली/क्रेडिट कार्ड/गृहकर/बिल रसीद , (ग) किसी सरकारी निकाय के संपदा कार्यालय द्वारा जारी किया गया आवास का आवंटन पत्र, (घ) आयकर विवरणी, (ङ) चुनाव पहचान पत्र, (च) ड्राइविंग लाइसेंस, (छ) किराए की रसीद /किराया लीज़ अनुबंध, (ज) आवेदक के पते तथा व्यवसाय की घोषणा दर्शाता 10/-रु. के न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटरीकृत वैयक्तिक शपथ पत्र, (झ) कोई अन्य सरकारी दस्तावेज़। ii. पहचान प्रमाण के लिए अपेक्षित दस्तावेज़: निम्नलिखित में से किसी एक की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि - (क) पासपोर्ट (ख) ड्राइविंग लाइसेंस (ग) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र (घ) पैन कार्ड (ङ) फोटो लगा कोई सरकारी दस्तावेज़, किसी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / मान्याता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र /राशन कार्ड। iii. कृपया बुकिंग के समय एमटीएनएल के अधिकारी /प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापन के लिए ऊपर वर्णित दस्तावेज़ों का मूल रुप में प्रस्तुत करें। iv. आवेदक द्वारा स्वयं अनुप्रमाणित किया गया फोटो चिपकाया जाए। यदि आवेदक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी /सरकारी निकाय है तो फोटो की आवश्यकता नहीं है। v. सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां निगमन का प्रमाण पत्र, अंतर्नियमों का ज्ञापन (ममोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स) जिस पर कंपनी के प्रबंध /निदेशक /निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों तथा इसके साथ कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का उपर्युक्त के अनुसार पहचान का कोई प्रमाण संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों तो मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ एटारनी) की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि भी अवश्य संलग्न की जाए।	उपभोक्ता लेख सं. ____________________ डीआईआर सं. ____________________ एचएचटी /एफडब्ल्यूटी मॉडल ______________ एचएचटी /एफडब्ल्यूटी मॉडल ______________ ईएसएन ____________________

vi. भारत सरकार के उपक्रम, भारत सरकार /राज्य सरकार के कार्यालयों,के मामलों में पूर्वोक्त अपेक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। इनके मामले में पत्रशीर्ष पर स्वयं प्रमाणित किया जाना प्रर्याप्त होगा। इसके साथ समन्वय अधिकारी का नाम व पदनाम दिया जाए जिनसे आवश्यकता पड़ने पर परामर्श किया जा सके। vii. भारत में विदेशी दूतावासों एवं अन्य विदेशी एजेंसियों के मामले में प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम एवं उन कर्मचारियों इत्यादि का विवरण जिनके लिए सीडीएमए डब्ल्यूएलएल /एफडब्ल्यू फोन लिया जाना है। viii. भुगतान केवल मांग ड्राफ्ट /भुगतान आदेश के रुप में "एमटीएनएल दिल्ली" के पक्ष में स्वीकार किए जाएंगे। ix. गरुड़ प्रीपेड कार्ड तथा रिचार्ज कूपन का शुल्क पैकिंग केस /कूपन पर दर्शाया गया है तथा किसी भी स्थिति में इस राशि की वापसी नहीं हो सकती। x. गरुड़ प्रीपेड कार्ड को समुचित रिचार्ज कूपन (जिसे अलग से खरीदा जा सकता है) के साथ क्रय करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है।	